न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 71/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/142

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. रतनलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी गुडा कलां तहसील सोजत जिला पाली		1. नीतु कवंर पुत्री भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी रावली पोल गुडा कलां तहसील सोजत जिला पाली
2. मदनलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी गुडा कलां तहसील सोजत जिला पाली		2. ग्राम पंचायत गुडा कंला जरिये सरंपच ग्राम पंचायत गुडा कलां तहसील सोजत जिला पाली
		3. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत गुडा कलां तह सोजत
		4. कालुसिंह कुमावत पुत्र दलजीतसिंह जाति राजपुत निवासी माण्डा तह मा0ज0 जिला पाली
		5. ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति मेवाडा निवासी कलालों का बास बगडी नगर तह सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री किशन सोनी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1,4 व 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.1.24

प्रार्थी ने ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, गुडाकलां द्वारा मिसल संख्या 59/2018–19 संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.12.2019 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुडा कलां में कृषि भुमि खसरा नम्बर 196 रकबा 0.0200 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0400 हैक्टर खसरा नम्बर 198 रकबा 0.9000 हैक्टयर कुल 0.9600 हैक्टर कृषि भुमि स्थित है जो प्रार्थी के पुर्वज स्व. पनाराम, सुखाराम दुर्गाराम पिसरान मुकाराम जाति माली के नाम जमाबंदी सम्वत 2043 से 2046 में दर्ज है। प्रार्थीगण के पुर्वज के देहांत उपरान्त प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से एक मात्र उक्त कृषि भुमि पर मालिकाना अधिकार रखते है,जिस पर प्रार्थीगण लम्बे समय से अपने परिवार सहित पक्के मकानो में निवास कर रहे है एवं शेष भुमि पर कृषि कर रहे है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भुमि के खसरा नम्बर 198 रकबा 0.9000 हैक्टर

अति. जिला कलक्टर, पाली

2500 वर्गफुट के प्लॉट को आबादी भुमि मानकर ग्राम पंचायत गुडा कलां द्वारा विधि विरूद्व गलत तरिके से अपने अधिकारों से बाहर जाकर जैर निगरानी पटटा संख्या 47 अप्रार्थी नीतु कंवर के पक्ष में जारी कर दिया जो काबिल खारिज योग्य है।

ग्राम पंचायत गुड़ा कंला द्वारा जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियमों से परे जाकर यथा बिना मिसल कायम किये बिना आपत्ति इश्तिहार जारी किये अप्रार्थी को लाभ पहुचाने की नियत से मिलीभगत कर प्रार्थी की खातेदारी भुमि हडपने की नियत से जैर निगरानी पटटा जारी कर दिया जो ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन से स्पष्ट होता है। जैर निगरानी पट्टे में वर्णित पडौस जो केवल काल्पनिक है वास्तविक्ता में नही है क्योंकि जैर निगरानी पट्टा कृषि भुमि पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी प्रकार कि आदेशिका जारी किये मिसल सख्या 59 दिनांक 23.06.2019 कायम की गई, जो तत्कालिन सरपंच, ग्रुप सचिव द्वारा फर्जी व कुटरचित तरीके से कौरम तैयार कर अप्रार्थी नीतु कवंर के नाम पट्टा जारी कर दिया।

अप्रार्थी नीतु कवंर एंव अप्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रार्थी की कृषि भुमि पर आकर धमकिया देते हुए जैर निगरानी पट्टे की आड में उक्त कृषि भुमि खाली करने की धममिया देते है। जैर निगरानी भुमि कृषि की खातेदारी भुमि है जिस पर आदिनांक तक प्रार्थीगण का कब्जा है ओर अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। शेष भूमि पर खेती कर रहे है। जिसकी भौतिक एवं वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किये बिना ही प्राथीगण की खातेदारी भुमि पर ग्राम पंचायत गुडा कलां ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो काबिल खारिज योग्य है।

वकिल अप्रार्थीगण संख्या 01,04 व 05 की ओर से अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि ग्राम मौजा गुडा कलां मे आबादी भुमि खसरा नम्बर 195 के पास खसरा नम्बर 196 रकबा 0.0200 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा व खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0400 हैक्टर पिचका बावडी व खसरा नम्बर 198 रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म जाव की कृषि भुमि आयी हुई है जो राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के खातेदारी भुमि नही है, प्रार्थीगण यह कही स्पष्ट नही कर पाये की उक्त कृषि भुमि प्रार्थी के पुर्वजो की खातेदारी भुमि है। प्रार्थी की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भुमि गुडा कलां के बस स्टेण्ड के पास न होकर आबादी भुमि के पिछे आयी हुयी है जहां प्रार्थीगण के परिवार वाले कृषि भुमि पर काश्त कर रहे है जिसे गांववालो ने उन्हे केवल काश्त करने हेतु दी हुई है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि नही है।

ग्राम पंचायत गुडा कलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा विधि अनुसार एवं राज पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए जारी किया है। खसरा नम्बर 196,197,198 प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि न होकर गांवाई भुमि है जो राजस्व रेकर्ड में भी बेरा पिचका सार्वजनिक गुडा कलां खातेदार गैर इन्तजाम मुख्यान देहकाश्त मुकिया पुत्र मोटा माली के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 195 ग्राम पंचायत की आबादी भुमि है जिस पर अप्रार्थी नीतु कवंर के पुर्वजो का कब्जाशुदा भुखण्ड आया हुआ है जिसका पट्टा लेने का अप्रार्थी नीतु कंवर को अधिकार है जिसे ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार पंचायत नियमों की पालना करते हुए जारी किया है, जिसका बेचान अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 व 5 जो जरिये रजिस्ट्री किया है, जिस पर वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 का कब्जा है जिसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 कर रहे है। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत गुडा कलां द्वारा पंचायत नियमों के तहत सम्पुर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को जारी किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, गुडाकलां द्वारा मिसल संख्या 59/2018–19 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक नीतु कवंर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा कंला के समक्ष अपने पुश्तैनी/कब्जा शुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित भूमि का पडौस आदि अंकित है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा जरिये रसीद संख्या 15/08 दिनांक 23.02.2019 के जरिये राशि 120/– रूपये जमा किये गये तथा मिसल कायम की गई। दिनांक 23.06.2019 को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को नक्शा बनाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, सरपंच के हस्ताक्षर है। पंचायत की बैठक दिनांक 05.08.2019 में उक्त मिसल पेश हुई, जिस पर ग्राम सचिव द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया एवं इस दिनांक को तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत कर मोका निरीक्षण करने के आदेश दिये गये। तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 05.08.2019 को नियम 147 के तहत पट्टा बनाने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 05.10.2019 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दो गवाह पेश करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.12.2019 को नियम 157 (1) के तहत अप्रार्थी एक नीतु कवंर के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना की गई है। ग्राम पंचायत गुड़ा कंला की जमाबंदी 2077 के अवलोकन से स्पष्ट है खसरा नम्बर 195 रकबा 7.5000 हैक्टेयर भुमि आबादी भुमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 का पुश्तेनी कब्जा होने से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की पूर्ण पालना की गई है। अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन है कि ख.न.198 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जबकि वर्तमान जमाबंदी के मुताबिक ख.न.198 की भूमि आज भी चाही सोयम दर्ज है जो प्रार्थी की खातेदारी भुमि नही है न ही जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की खातेदारी भुमि पर दिया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, गुडाकलां द्वारा मिसल संख्या 59/2018–19 संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.12.2019 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.12.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली